झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jharkhand

चेड़ी-मनातू, पो. कमड़े, थाना – कांके, रांची- 835222, झारखंड

अक्टूबर से दिसंबर, 2024

दिनांक – 29 नवंबर, 2024

हिन्दी कार्यशाला रिपोर्ट

हिंदी कार्यशाला: रिपोर्ट

आज दिनांक 29 नवंबर, 2024 को राजभाषा प्रकोष्ठ, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 'राजभाषा अधिनियम 1963 और इसकी धारा 3(3) एवं राजभाषा अधिनियम 1976' विषय पर एक तिमाही हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ के रूप में आईआईटी,खड़गपुर के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ. राजीव कुमार रावत उपस्थित थे। कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के के राव ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और विश्वविद्यालय में हिंदी में कामकाज करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज को द्विभाषी बनाना अनिवार्य है। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी में अधिकाधिक कामकाज करने और धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्य वक्ता डॉ. राजीव कुमार रावत ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग केवल दैनिक बोलचाल के लिए ही नहीं बल्कि लिखित रूप में भी इसका लगातार अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। डॉ रावत ने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदी से संबंधित कार्यालयीन नियम- उपनियम तथा टिप्पण एवं प्रारूपण के संबंध में विस्तृत रूप से विधिक जानकारी प्रदान की। सहायक प्राध्यापक डॉ उपेंद्र सत्यार्थी ने राजभाषा संबंधी अधिनियम की संक्षिप्त रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों लिए यह अधिनियम अत्यंत उपयोगी है और इसकी जानकारी आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के उप-कुलसचिव श्री उज्ज्वल कुमार और अब्दुल हलीम, रविकांत, नितिन, अजय, शिकारी मुंडा, महेंद्र रजवार आदि के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अनेक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन प्रभारी हिंदी अधिकारी डॉ.उपेंद्र कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन सहायक कुलसचिव नफीस अहमद खान ने किया।

रिपोर्ट : डॉ.उपेंद्र कुमार

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jharkhand

चेड़ी-मनातू, पो. कमड़े, थाना – कांके, रांची- 835222, झारखंड

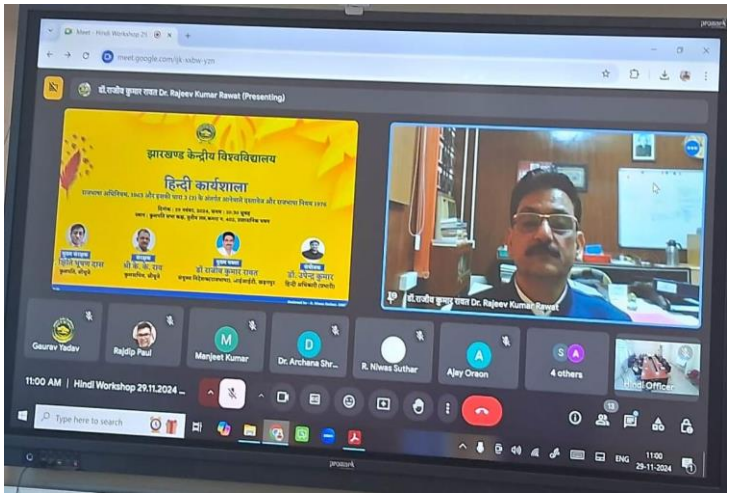

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jharkhand

चेड़ी-मनातू, पो. कमड़े, थाना – कांके, रांची- 835222, झारखंड

हिन्दुस्तान

कार्यशाला में हिन्दी को बढ़ावा देने पर जोर

सीयूजे

किसी भी परीक्षा की तैयारी में पूर्ववर्ती वर्षों का प्रश्नपत्र होता है महत्वपूर्ण : डॉ सौरभ

रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय विवि, झारखंड (सीयूजे) के राजभाषा प्रकोष्ठ की ओर से राजभाषा अधिनियम- 1963 और इसकी धारा 3(3) व राजभाषा अधिनियम-1976, विषय पर शुक्रवार को तिमाही हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। विषय विशेषज्ञ के रूप में आईआईटी, खड़गपुर के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ राजीव कुमार रावत उपस्थित थे। उन्होंने राजभाषा अधिनियम- 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले 14 दस्तावेज को अनिवार्य रूप से द्विभाषी बनाने पर विशेष व्याख्यान शुक्रवार को हुआ। मुख्य वक्ता जेएनयू, दिल्ली के दक्षिण एशिया विभाग के प्रोफेसर डॉ सौरभ थे। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी में पूर्ववर्ती वर्षों का प्रश्नपत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने नेट, प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉ विश्वास, डॉ अपर्णा, शिक्षक, शोधार्थी व विद्यार्थी मौजूद थे।

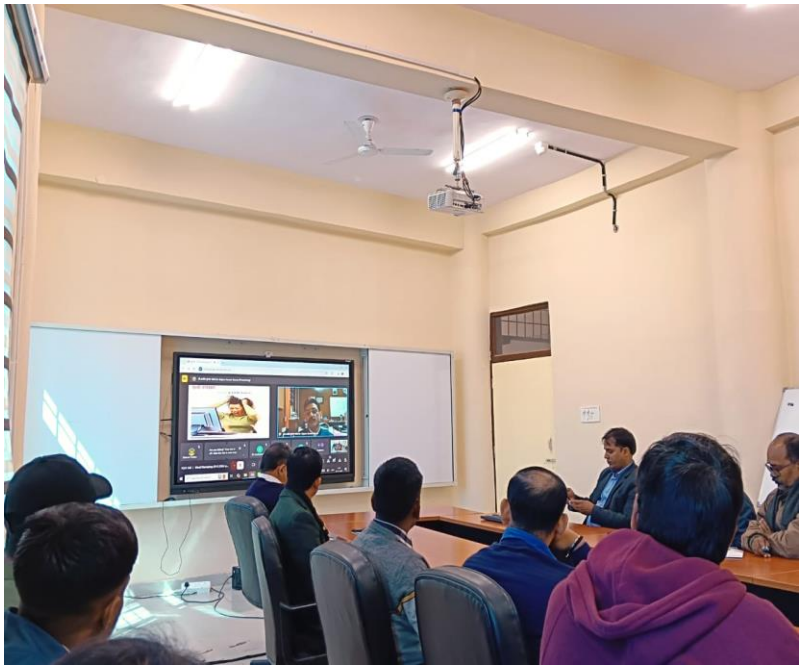

सीयूजेः हिंदी का प्रयोग दैनिक बोलचाल के लिए ही नहीं बल्कि लिखित रूप में करें

30/11/2024 दैनिक भास्कर

रांची | झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ ने हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। विषय विशेषज्ञ के रूप में आईआईटी, खड़गपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव कुमार रावत उपस्थित थे। विवि के कुलसचिव के राव ने विवि के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी में काम करने की अपील की। मुख्य वक्ता डॉ. राजीव कुमार रावत ने कहा- हिंदी भाषा का प्रयोग दैनिक बोलचाल के लिए ही नहीं बल्कि लिखित रूप में भी करनी चाहिए।

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jharkhand

चेड़ी-मनातू, पो. कमड़े, थाना – कांके, रांची- 835222, झारखंड